बिहार, सरकार

स मा ह र णा ल य, अररिया

(जिला पशुपालन कार्यालय)

अल्पकालिन निविदा संख्या -- 01

उत्पादक/भंडारकर्त्ता/उप भंडारकर्त्ता/पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़/सुखाड़ सहाय्य कार्य के लिए भूसा/कुट्टी(पुआल) का सील बंद निविदा अररिया जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्रकाशन के 21 वें दिन शाम 5 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय अररिया में निविदा प्राप्त किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकारी अररिया की अध्यक्षता में जिला आपदा कमिटी के द्वारा निविदा प्राप्ति के अगले दिन 3.00 बजे दिन में खोला जायेगा।

निविदा की शर्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी अररिया के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि मो0 10000/-(दस हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी,अररिया के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो अररिया शाखा में भुगतेय होगा,जमा करना अनिवार्य है।

12.6.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

12/6/17

जिला पदाधिकारी
अररिया।

निविदा के शर्त्ते

1. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का भूसा/कुट्टी(पुआल) हेतु निविदा अंकित होगा।
2. तकनिकी निविदा में निम्नलिखित शर्त्ते होगी–
   (क) रुपये 10000/का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रुप में देना होगा जोकि असफल निविदा दाता को वापस किया जा सकेगा तथा सफल निविदादाता की राशि को निविदा की अवधि तक [redacted] रखी जायेगी।
   (ख) PAN कार्ड की छाया प्रति।
   (ग) काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपत पत्र लगा (मूल प्रति) होना चाहीए ।
   (ध) सामग्री का नमूना 500gm पारदर्शी पलास्टिक की थैली में सील बंद हो, उसपर नाम, पता, एवं मोबाईल न0 अंकित हो।
   (ड़) सभी शर्त्ते मान्य होने संबंधी प्रमाण पत्र।
3. तकनिकी निविदा निविदादाता या उसके प्रतिनिधी के समक्ष खोला जायेगा। यदि वे उपस्थित नही होते है तो निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय निविदादाता के लिए मान्य होगा।
4. तकनिकी निविदा में सफल निविदा दाता का वित्तिय निविदा खोला जायेगा।
5. निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
6. वित्तिय निविदा में दर साफ–साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ऑवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी का दर अलग–अलग अंकित हेना चाहीए।
7. सामग्री की आपूर्ति अररिया जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
8. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
9. सफल निविदादाता को 7 दिनों के अंदर जिला पशुपालन पदाधिकारी,अररिया से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी भार्त्ते तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होगें।
10. सभी अंचलों में निर्देष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता स्वंय जिम्मेवार होगें।
11. भूसा सूखा कवक रहित उच्च गुण्वत्ता का होगा और उत्पादन से छः माह ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नमी 10% से अधिक नहीं होगी।
12. 15 दिनों के अंदर आपूर्ति नहीं करने पर कुल मुल्य का 5% दण्ड लगाया जायेगा जिसका निर्णय निविदा समिति द्वारा लिया जायेगा।
13. किसी भी स्तर पर निविदा रदद् किया जा सकता है या आवश्यकता नही पड़ने पर आपूर्ति आदेश रदद् किया जा सकता है।
14. शर्त्तो के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमिता,गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जायेगा।
15. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।
16. सारी विवाद अररिया न्यायालय के दायरे में होगा।
17. भूसा के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुण्वत्ता जॉच कराई जा सकती है।
18. आपूर्ति आदेश आवश्यक्तानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।

SI.N0.	Item	Specification
1	Wheat Straw(Bhusa)	Moisture less than 10%Without Fungus
2	Paddy Straw (Kutti)	Moisture less than 10% Without Fungus

12.6.17
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

21/6/17
जिला पदाधिकारी
अररिया